

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 243 सन 2021

अनवान :-

1. नत्थुराम पुत्र जीतराम जाति मेधवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जीतराम पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. विमला पुत्री जीपराम पत्नी कृपालसिंह जाति मेधवाल निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुडडी पुत्र जीतराम पत्नी बनवारी जाति मेधवाल निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री जीतराम पत्नी रूधाराम जाति मेधवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. बसकारो पुत्री जीतराम पत्नी बृजलाल जाति मेधवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. शारदा पुत्री जीतराम पत्नी रोहिताश जाति मेधवाल निवासी सरादारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. इन्द्रावती पुत्री जीतराम पत्नी सुरेन्द्र जाति मेधवाल निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. रोशनी पुत्री जीतराम पत्नी विनोद जाति मेधवाल निवासी बरासरी तहसील।
9. महेन्द्र पुत्री जीतराम पत्नी बुधराम जाति मेधवाल निवासी कागदाना तहसील व जिला सिरसा
10. सुरेश पुत्री जीतराम पत्नी विकाश जाति मेधवाल निवासी बरासरी तहसील व जिला सिरसा
11. शिदु पुत्री जीतराम पत्नी राजेश जाति मेधवाल निवासी बरशीन तहसील व जिला फतेहबाद
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88  
उपस्थित : श्री राजेश कोशिक अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 19/9/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 54/53 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा, रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 53/52 की कुल 4.1752हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द पुरनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनफुल वल्द पुरनराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द पुरनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

  
खाण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कोई सर्वेका दादा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने को कुछ दिनों तक तो आज तक आज तक करने रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद दिल्ली किया जाकर प्रमाण की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बंधन के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद दिल्ली करना जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जस्टिस सम्मन तालव किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जस्टिस अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दादा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनफूल बल्द पुरनराम के देहान्त होने पर विरासत से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सम्बन्ध में ईकबाल दादा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 परेशकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना साक्ष्य पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जित्त नहीं करने के कारण जित्त शून्य रही तथावात उभयपक्षों की वदस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी वदस में अपने वाद में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बक 12 जेएसएन के खाला संख्या 54/53 की ब्लू 1. 0120हैक में से 1/2 हिस्सा, रोही मौजा बक 12 जेएसएन के खाला संख्या 53/52 की ब्लू 4.1752हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफूल बल्द पुरनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनफूल बल्द पुरनराम के देहान्त होने पर वाद विरासत से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफूल बल्द पुरनराम के देहान्त होने के बाद विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरही वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजिनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद दिल्ली करना जावे।

  
आधिकारी (राजस्व);  
हर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 54/53 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा, रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 53/52 की कुल 4.1752हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मनफुल वल्द पुरनराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द पुरनराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द पुरनराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 54/53 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा, व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 53/52 की कुल 4.1752हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपसुपड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 खाता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. नत्थुराम पुत्र जीतराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम


1. जीतराम पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. विमला पुत्री जीपराम पत्नी कृपालसिंह जाति मेघवाल निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुडडी पुत्र जीतराम पत्नी बनवारी जाति मेघवाल निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री जीतराम पत्नी रूधाराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. बसकारो पुत्री जीतराम पत्नी वृजलाल जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. शारदा पुत्री जीतराम पत्नी रोहिताश जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. इन्द्रावती पुत्री जीतराम पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. रोशनी पुत्री जीतराम पत्नी विनोद जाति मेघवाल निवासी बरासरी तहसील।
9. महेन्द्र पुत्री जीतराम पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी कागदाना तहसील व जिला सिरसा
10. सुरेश पुत्री जीतराम पत्नी विकास जाति मेघवाल निवासी बरासरी तहसील व जिला सिरसा
11. शिदु पुत्री जीतराम पत्नी राजेश जाति मेघवाल निवासी बरशीन तहसील व जिला फतेहबाद
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 243 सन 2022 निर्णय दिनांक- 19/09/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 54/53 की कुल 1.0120हैक् में से 1/2 हिस्सा, व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 53/52 की कुल 4.1752हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी, ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )